



अंत्योदय – सरल



## हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड

### हस्तांतरण पत्र जारी करना

(सेवा)

#### योग्यता

मंडियो में किसी प्लॉट/सम्पत्ति का मालिक।

#### प्रदान किया गया लाभ

किसी भी मार्केट कमेटी में प्लॉट /सम्पत्ति धारक किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर हस्तांतरण विलेख जारी करने के लिए इस सेवा का लाभ उठा सकता है।

#### आवश्यक कागजात

1. परिवार पहचान पत्र
2. पहचान प्रमाण यानि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पासपोर्ट, वोटर कार्ड, (इनमें से कोई एक)
3. आवेदक से विधिवत हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र।
4. आंवटी से क्षतिपूर्ति बांड
5. आंवटी से स्वघोषणा वचन पत्र।
6. भवन का पूर्णतयः प्रमाण पत्र।
7. कोई बकाया नहीं प्रमाण पत्र।
8. हस्तांतरण विलेख उचित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर टाईप किए हुए विधिवत रूप से हस्ताक्षरित की तीन प्रतियां।

#### सेवा के लिए शुल्क

सरकारी फीस	केन्द्र सेवा शुल्क	अटल सेवा केन्द्र (सी.एस.सी.) सेवा शुल्क
कोई फीस नहीं	30/-रु0 प्रति आवेदन	30/-रु0 प्रति आवेदन

आर.टी.एस. समय सीमा: 30 दिन